फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

[illegible] [illegible]

जाति [illegible] नि. [illegible], तह. सोजत — जाति [illegible] नि. [illegible] तहसील [illegible]

किस्म मुकदमा:– राजस्व विविध प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 एल.आर.एक्ट. 1956 मु0न0 73/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
16/10/20	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 110, 111, 128 एल आर एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 07/01/21 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी, सोजत	633 2/11/20
7/1/21	अधिवक्ता प्रार्थीगण उप० अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया; ला. मि. हो। अप्रार्थी संख्या 8 को जरिये समन बाद तामील प्राप्त, शा. मि. हो। अप्रार्थी संख्या 4 से 7 को बाद समन बाद तामील प्राप्त नहीं हुए है इजाफा होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/1/21 को पेश हो। [signature] ACSojat	
29/1/21	वकुलाय उपस्थित। अतः श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/ अवकाश पर है। अतः पेशी इजाफा होकर पत्रावली दिनांक 11/2/21 को पेश हो। [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
11/2/21	वकुलाय उपस्थित। अतः श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त/भ्रमण/ अवकाश पर है। अतः पेशी इजाफा होकर पत्रावली दिनांक 25/2/21 को पेश हो। [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
25/2/21	वकुलाय उप०। अप्रार्थी सं 5 व 6 की ओर से श्री कैलाश दवे ने वकालतनामा पेश किया ला. मि. हो। अप्रार्थी सं 4 व 7 की तामील रिपोर्ट	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख जो ... तामील

का इन्तजार होकर पत्रावली आयन्दा दि. 04/3/21 को पेश पेश हो।

DC Sojat

4/3/2021

बकुलाय उप०

अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 4 व 7 की डाक विभाग की तलबी की पुष्टि हेतु ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की; जो. मि. - है। प्राप्त ट्रेकिंग रिपोर्ट में न्यायालय से भेजे गये नोटिस तामील होने की पुष्टि होने से तामिल माना जाता है। बावजूद तामील / सूचना बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस बकुलाय सुनी गई व समायत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम - चोपड़ा में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1132 व 1133 1134 कुल किता 3 जिसका कुल रकबा 1.1800 हैक्टर आयी हुई स्थित है। प्रार्थी व पड़ोस के खातेदारों के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद रहता है तथा उक्त विवाद को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मध्य मुकदमेबाजी भी हुई। उक्त भूमि का सीमांकन तहसीलदार सोजत से करवाने हेतु आवेदन किया गया। इस सम्बंध में सम्बंधित पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमाओं को लेकर विवाद होने से पत्थरगढ़ी व मुट्ठाम लगाये जाने हेतु निवेदन किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्थित ग्राम चोपड़ा की प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त. की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1132, 1133, 1134 कुल किता 3 जिसका कुल रकबा 1.1800 हैक्टर का सीमांकन कर, पत्थरगढ़ी कर, मुट्ठाम कायम किये जाने की इस्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 6 जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहते से जवाब बन्द किया जाता है।

पत्रावली का व तहसीलदार सोजत, प्रार्थना पत्र धारा 110, 111, व 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद होने से सीमांकन, पत्थरगढ़ी, व मुट्ठाम कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा संलग्न मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस बकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि मौजा चोपड़ा के ख.न. 1132, 1133, व 1134 की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाकर मुट्ठाम कायम, बजरिये अहलकारान करवाया जाना।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उचित समझते है। -::आदेश::- अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा चौपड़ा में स्थित प्रार्थी व सह खातेदारान की भूमि ख.न. 1132, 1133, 1134, कुल किता 3 जिसका कुल रकबा 1.1300 हेक्टर का समक्ष पक्षकारान मौके पर पैमाइश कर सीमाज्ञान करवाये जाने एवं मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार सोजत के नेतृत्व में सम्बन्धित भू. अ. नि., पटवारी व एक अन्य पटवारी की टीम का गठन करने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिया जाता है। निर्णय की प्रति T.D.R. सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ रेकर्ड अगडाजमा हो। (दौलतराम चौधरी) उपखण्ड अधिकारी सोजत सोजत (जिला-पाली) राज. निर्णय दिनांक 5/3/2021 को खुले इजलास सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया। (दौलतराम चौधरी) उपखण्ड अधिकारी सोजत सोजत (जिला-पाली) राज	

Scanned with CamScanner